

**Rule 2 : Application of Central Goods and Services Tax Rules**

The Central Goods and Services Tax Rules, 2017, for carrying out the provisions specified in section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 shall, so far as may be, apply in relation to integrated tax as they apply in relation to central tax.

---

**नियम 2 : केन्द्रीय माल और सेवाकर नियमों का लागू होना**

एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 20 विनिर्दिष्ट उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए केन्द्रीय माल और सेवाकर नियम, 2017, जहां तक हो सके, एकीकृत कर के संबंध में उस प्रकार लागू होंगे, जैसे वे केन्द्रीय कर के संबंध में लागू होते हैं।

---